प्रेषक.

राजीव कुमार, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।

## सेवा में.

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, परिवहन, गृह (पुलिस), चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट, नगर विकास, कारागार, वन, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. सचिव,

30प्र0 लोक सेवा आयोग,

इलाहाबाद।

3. सचिव,

30प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ।

## आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: 14 नवम्बर, 2017

विषयः प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से विभागीय ऑनलाइन सेवाओं के इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त विभागों की आम जनमानस से सम्बन्धित सेवायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

- 2- वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 16 विभागों की 137 सेवायें इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे तद्दिनांक तक प्रदेश के लगभग 12.36 करोड़ आम जनमानस लाभान्वित हो चुके है। इसके अतिरिक्त 19 विभागों (संलग्नक-1) द्वारा स्वयं से विकसित ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से सेवायें आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है जोकि वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट नहीं है।
- 3- वर्तमान में प्रदेश में लगभग 73 हजार जन सेवा केन्द्र स्थापित किये गये है जोकि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रियाशील है, अतः विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के पश्चात यह सभी सेवायें जन सेवा केन्द्रों पर भी उपलब्ध हो जायेंगी। इन सभी जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अधिक से अधिक नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया जा सकता है।
- 4- डिजिटल इण्डिया अभियान को प्रदेश में बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न विभागों की सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं (जिनमे जनहित गारण्टी अधिकनियम 30प्र0 के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाएं सिम्मिलित है) को डिजिटल सर्विसेज़ के रूप में अधिक से अधिक नागरिकों को प्रदान करने के उद्देश्य से इन सेवाओं का इन्टीग्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
- 5- विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की ऑन लाइन माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं उन सेवाओं का इन्टिग्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से किये जाने के लिए सम्बन्धित विभाग से सचिव/ विशेष सचिव स्तर पर प्रकरण के संबंध में नियमित रूप से मिटिंग रोस्टर बनाते हुए बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाएगी।
- 6- उपरोक्त के क्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवायें एक ही पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) पर उपलब्ध करने के लिये विभागों दवारा निम्नवत् कार्यवाहियां की जानी अपेक्षित है:-

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- विभागीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करना।
- II. विभागीय पोर्टल को विकसित करने वाली तकनीकी कार्यदायी संस्था का समन्वय ई-डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी., लखनऊ टीम से कराना।
- III. विभागीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु टेक्नीकल इन्टीग्रेशन गाइडलाईन्स (संलग्नक-2) के अनुसार कार्यवाही किया जाना। उक्त गाइडलाईन्स ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in/deptregprocess. htm) पर भी उपलब्ध है।
- IV. विभागीय पोर्टल का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से टेक्नीकल इन्टीग्रेशन पूर्ण होने के उपरान्त विभाग द्वारा विस्तृत शासनादेश (श्रम विभाग, 30प्र0 शासन द्वारा दिनांक 31-05-2017 को जारी शासनादेश संलग्न) जारी किया जायेगा।
- V. इन्टीग्रेशन सम्बन्धी अन्य जानकारियों हेतु श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन (मोबाईल नम्बर-7379041406, ई-मेल आई.डी.-jitendra.s@semt.gov.in) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- VI. विभागीय पोर्टल को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टिग्रेट करने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों को विभाग द्वारा दिनांक 31-1-2018 तक पूर्ण किया जाएगा।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हु आ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार मुख्य सचिव

## संख्या:34/2017/78-2-2017-53आई.टी./2017 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषितः

- 1. निजी सचिव, मा० मंत्रीजी, आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०।
- 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3. विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, अपट्रांन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 6. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ।
- 7. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
- 8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ०प्र०, अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ।
- 9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0बी0सिंह) संयुक्त सचिव।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।